सं०सं०–1/व०आयु० सं०–02/2012–.....17.....(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : **संजय कुमार,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
वर्द्धमान ईन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज,
पावापुरी, नालन्दा।

पटना, दिनांक–25/ 04 /2012

विषयः–वर्द्धमान ईन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज, पावापुरी, नालन्दा को गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतन भत्ते एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रु० 4,85,72,700/– (चारकरोड़ पचासी लाख बहत्तर हजार सात सौ रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निम्नांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड– N 2210051050022 के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन भत्ते एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल– रु० **4,85,72,700/–** (चारकरोड़ पचासी लाख बहत्तर हजार सात सौ रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0022–वर्द्धमान इन्स्टीचयुट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी, माँग संख्या 20, विपत्र कोड– N 2210051050022 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्राचार्य बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

24/4/2012

क्रमशः

7. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

8. इस आवंटनादेश में मशीनें एवं उपस्कर ईकाई में 1,00,000/–(एक लाख) रूपए की राशि एम०बी०बी०एस० कोर्स प्रारंभ करने हेतु एम०सी०आई० के मापदंड के अनुरूप छोटे–छोटे उपकरणों के क्रय हेतु समाहित है।

9. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, नालन्दा (बिहारशरीफ) से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/4/12

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/व०आयु० सं०–02/2012–.....17.....(1)ब०/स्वा०, पटना, दिनांक–25/ 04 /2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना / जिलाधिकारी, नालन्दा/ कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा (बिहारशरीफ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा)/ पटना प्रशाखा पदाधिकारी–1/ संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/12

सरकार के संयुक्त सचिव।

16/4/12

वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज, पावापुरी विपत्र कोड एन 2210051050022 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि का आवंटन

विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	आवंटित राशि	शेष राशि
01 01 वेतन	20000000	18000000	2000000
01 03 जीवन यापन भत्ता	13400000	12060000	1340000
01 04 मकान किराया भत्ता	3000000	2700000	300000
01 06 चिकित्सा भत्ता	240000	216000	24000
01 07 अन्य भत्ता	338000	304200	33800
योग– वेतन एवं भत्ते	**36978000**	**33280200**	**3697800**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20000	10000	10000
11 01 यात्रा व्यय	10000	5000	5000
13 01 कार्यालय व्यय	60000	30000	30000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	200000	100000	100000
13 03 दूरभाष	10000	5000	5000
13 04 विद्युत प्रभार	20000	10000	10000
13 05 विधि प्रभार	5000	2500	2500
13 06 वर्दी / पोशाक	5000	2500	2500
14 01 किराया महसूल एवं कर	1000	0	1000
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	5000	2500	2500
20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	1000	0	1000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	50000	25000	25000
21 02 दवा भण्डार	10000	0	10000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	30000000	15000000	15000000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	30000000	100000	29900000
कुल योग :–	**97375000**	**48572700**	**48802300**

(चार करोड़ पचासी लाख बहत्तर हजार सात सौ रूपए) मात्र

17(1) वि
25-4-12

सरकार के संयुक्त सचिव।

16/4/12